शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के संदर्भ में विद्यालय तथा अध्यापक के दायित्व के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति का अध्ययन

प्रीति दुबे*
धर्मेन्द्र एन. शाम्भरकर**
सरिता चौधरी***

यह शोध अध्ययन शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत विद्यालय तथा अध्यापक के दायित्व के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति पर आधारित है। यह शोध अध्ययन वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि पर आधारित था। प्रतिदर्श के रूप में महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले के कक्षा एक से कक्षा आठवीं तक के विद्यालयों में अध्यापन करने वाले 40 अध्यापकों का चयन साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि द्वारा किया गया था। आँकड़ों के एकत्रीकरण हेतु शोधार्थी द्वारा स्वनिर्मित अध्यापक अभिवृत्ति मापनी का उपयोग किया गया था। यह मापनी सहमत, असहमत तथा अनिश्चित तीन बिंदु लिकर्ट मापनी पर आधारित है, जिसमें 12 क्षेत्रों के अंतर्गत कुल 27 (16 धनात्मक एवं 11 ऋणात्मक) कथन हैं। आँकड़ों के विश्लेषण के लिए स्वतंत्र न्यादर्श t-परीक्षण तथा एक-मार्गीय प्रसरण विश्लेषण सांख्यिकी प्रविधि का उपयोग किया गया था। शोध अध्ययन के निष्कर्ष में यह पाया गया कि अध्यापकों में अपने दायित्वों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति है तथा जेंडर और शैक्षिक अनुभव के आधार पर मध्यमान अभिवृत्ति फलांकों में सार्थक अंतर नहीं है।

शिक्षा एक प्रक्रिया है जो मनुष्य को अपनी जन्मजात शक्तियों के सामंजस्यपूर्ण एवं स्वाभाविक विकास में योगदान देती है तथा उसकी व्यैक्तिकता का पूर्ण विकास करती है। शिक्षा आयोग (1964–66) ने अपने प्राक्कथन में लिखा है कि, "भारत के भाग्य का निर्माण उसके कक्षा-कक्ष में हो रहा है।" अगर ऐसी शिक्षा किसी राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त हो जाए तो वह राष्ट्र विश्व का सबसे विकसित राष्ट्र होगा, क्योंकि ऐसे राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक मानव संसाधन बन जाएगा। किसी भी राष्ट्र की स्वतंत्रता और सशक्तिकरण हेतु शिक्षा एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो सामाजिक विकास के लिए एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाती है। बालकों में सीखने और विकास के सभी स्तरों की आधारशिला प्राथमिक शिक्षा है (परिमाला, 2012)। यह व्यक्तियों को विश्लेषणात्मक क्षमताओं से परिपूर्ण करती है

**शोधार्थी, शिक्षा विभाग*, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र 442 005
***सहायक प्राध्यापक*, शिक्षा विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र 442 005
****सहायक प्राध्यापक*, शिक्षा विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र 442 005

© NCERT not to be republished

और आत्मविश्वास प्रदान करती है। बालकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 लागू किया गया। यह अधिनियम 6–14 वर्ष तक की आयु के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करता है। इसे 13 अप्रैल, 2010 को भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 21(ए) के तहत भारत के प्रत्येक बच्चे के लिए, शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया (आर.टी.ई. अधिनियम, 2009)।

इस प्रकार भारत विश्व में, 135वाँ देश बना (सोफी, 2017)। इससे पूर्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में दिए गए शिक्षा के अधिकार का सिद्धांत विद्यालय की पहुँच, नामांकन, विविधता और प्रतिभागिता की दृष्टि से प्रभावी नहीं था (जुनेजा, 2010)। अनुच्छेद 21(ए) के अनुसार, प्रत्येक बच्चे का निःशुल्क रूप से विद्यालय में नामांकन करना आवश्यक है। बच्चे का धर्म, जेंडर, जाति या किसी अन्य कारण से प्रवेश रोका नहीं जा सकता है। बच्चे के प्रवेश के पश्चात् विद्यालयों एवं अध्यापकों का यह दायित्व है कि वे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें तथा वे विद्यालय बीच में ही त्याग न करें। राज्य सरकारों द्वारा इसके लिए प्रत्येक तीन किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालयों एवं प्रत्येक पाँच किलोमीटर की दूरी पर माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण केंद्र सरकार की सहायता से किया जाएगा (सर्व शिक्षा अभियान, मैनुअल 2017)। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्राथमिक कक्षा की विद्यार्थी-शिक्षक मानक क्षमता 30:1 रखी गई है (आर.टी.ई. अधिनियम, 2009)। शिक्षा की गतिशीलता को निरंतर बनाए रखने के लिए शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अध्यापकों की जागरूकता आवश्यक है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, रहमान (2013) द्वारा किए गए शोध कार्य से यह दृष्टिगोचर होता है कि सरकारी विद्यालय में अध्यापन कर रहे अध्यापकों में से 54.6 प्रतिशत अध्यापक शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रति जागरूक हैं। मंडल और बर्मन (2014) द्वारा किए गए शोध कार्य में यह पाया गया कि माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों की शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रति मध्यवर्ती अभिवृत्ति है तथा अध्यापकों की इसके प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति है।

शोध का औचित्य

प्रारंभिक स्तर पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शिक्षा के विभिन्न हितधारकों के बीच जागरूकता एवं उसके प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का होना अति आवश्यक है। यदि वे इसके प्रति भली-भाँति जागरूक होंगे, तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के सफल कार्यान्वयन की संभावना बढ़ेगी। इसलिए अधिनियम में निर्धारित नियमों और विनियमों को लागू करने के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के बारे में, सभी सेवारत और सेवा-पूर्व शिक्षकों को जागरूक किया जाना चाहिए। मलिक और अन्य (2013) द्वारा किए गए शोध में यह पाया गया कि ग्रामीण

© NCERT not to be republished

एवं शहरी भावी अध्यापकों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रति जागरूक करना अनिवार्य है। अजय (2013) द्वारा किए गए शोध में यह पाया गया कि अध्यापन करा रहे अध्यापकों पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रति जागरूकता का प्रभाव उनके उत्तरदायित्व पर सार्थक रूप से पड़ता है। दे और बेक (2011) द्वारा किए गए शोध में वरिष्ठ अध्यापक शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रति कनिष्ठ अध्यापकों की अपेक्षा कम जागरूक थे। कनिष्ठ अध्यापकों की जागरूकता अधिक होने के बाबजूद भी उनमें इस अधिनियम का क्रियान्वयन संतोषप्रद नहीं पाया गया। कुमार और शर्मा (2011) ने शोध निष्कर्ष में पाया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रति अभिभावकों की तुलना में अध्यापक सार्थक रूप से अधिक जागरूक हैं। उपर्युक्त शोध कार्यों के अध्ययन के पश्चात् यह ज्ञात होता है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के संदर्भ में विभिन्न शोध कार्य हुए हैं, परंतु इसके विशेष पक्ष विद्यालयों तथा विशेषकर अध्यापकों के दायित्व के प्रति कोई शोध कार्य नहीं हुआ है। अत: शोधार्थी द्वारा 'शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के संदर्भ में विद्यालय तथा अध्यापक के दायित्व के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति का अध्ययन' पर शोध अध्ययन करना सुनिश्चित किया गया।

क्रियात्मक परिभाषाएँ

विद्यालयों तथा अध्यापकों के दायित्व

विद्यालयों तथा अध्यापकों के दायित्व से तात्पर्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लिखित उन प्रावधानों से हैं, जिनका संबंध इसके प्रभावी क्रियान्वयन में विद्यालयों तथा अध्यापकों को दिए गए दायित्वों से है।

अध्यापकों की अभिवृत्ति

अभिवृत्ति का सामान्य अर्थ किसी मनोवैज्ञानिक विषय (अर्थात् व्यक्ति, वस्तु, समूह, विचार, स्थिति या कुछ और जिसके बारे में भाव आ सके) के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भाव की उपस्थिति है। प्रस्तुत शोध में अध्यापकों की अभिवृत्ति से तात्पर्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में उल्लिखित विद्यालयों तथा अध्यापकों के दायित्वों से संबंधित प्रावधानों के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भाव की उपस्थिति से है।

शोध उद्देश्य

इस शोध अध्ययन के निम्नलिखित शोध उद्देश्य थे —

- शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत विद्यालय तथा अध्यापक के दायित्व के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना।
- जेंडर के आधार पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत विद्यालय तथा अध्यापक के दायित्व के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति के माध्य फलांकों की तुलना करना।
- शैक्षिक अनुभव के आधार पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत विद्यालय तथा अध्यापक के दायित्व के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति के माध्य फलांकों की तुलना करना।
- सामाजिक वर्गों के आधार पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत

© NCERT not to be republished

विद्यालय तथा अध्यापक के दायित्व के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति के माध्य फलांकों की तुलना करना।

शोध परिकल्पनाएँ

इस शोध अध्ययन की निम्नलिखित शोध परिकल्पनाएँ थीं —

- शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत विद्यालय तथा अध्यापक के दायित्व के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति धनात्मक है।
- जेंडर के आधार पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत विद्यालय तथा अध्यापक के दायित्व के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति के माध्य फलांकों में सार्थक अंतर नहीं है।
- शैक्षिक अनुभव के आधार पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत विद्यालय तथा अध्यापक के दायित्व के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति के माध्य फलांकों में सार्थक अंतर नहीं है।
- सामाजिक वर्गों के आधार पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत विद्यालय तथा अध्यापक के दायित्व के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति के माध्य फलांकों में सार्थक अंतर नहीं है।

शोध विधि एवं प्रक्रिया

इस अध्ययन के लिए वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया था।

जनसंख्या

इस अध्ययन में शोधार्थी द्वारा जनसंख्या के रूप में महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले के कक्षा 1–8 तक के विद्यालयों में अध्यापन करने वाले समस्त अध्यापकों को सम्मिलित किया गया था।

प्रतिदर्श प्रविधि तथा प्रतिदर्श

इस शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा प्रतिदर्श चयन के लिए साधारण यादृच्छिक प्रतिदर्श विधि का उपयोग कर, प्रतिदर्श के रूप में वर्धा जिले के कुल पाँच प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया गया था। प्रतिदर्श में पाँच विद्यालयों का चयन साधारण प्रतिदर्श विधि के अंतर्गत लॉटरी विधि द्वारा किया गया था। प्रतिदर्श वितरण का विवरण तालिका 1 में प्रस्तुत किया गया है—

तालिका 1— अध्यापकों का प्रतिदर्श

क्रम संख्या	विद्यालय का नाम	अध्यापिकाओं की संख्या	अध्यापकों की संख्या
1.	केंद्रीय विद्यालय	03	05
2.	राष्ट्रभाषा माध्यमिक विद्यालय	06	01
3.	रमाबाई माध्यमिक विद्यालय	02	11
4.	राष्ट्रीय सामाजिक विद्यालय	02	06
5.	किशोर भारती विद्यालय	02	02
		15	25
कुल अध्यापकों की संख्या		40	

© NCERT not to be republished

तालिका 2— चरों के आधार पर प्रतिदर्श का वर्गीकरण

क्रम संख्या	स्वतंत्र चर	चर के स्तर	संख्या	कुल
1.	जेंडर	पुरुष	24	40
		महिला	16	
2.	शैक्षिक अनुभव	0–15 वर्ष	14	40
		15 वर्ष से ऊपर	26	
3.	सामाजिक वर्ग	सामान्य	15	40
		अ. पि. व.	10	
		अ.ज. एवं अ. ज. जाति	15	

तालिका 1 के अनुसार चयनित प्रतिदर्श का पुनः जेंडर, शैक्षिक अनुभव एवं सामाजिक वर्गों के आधार पर वर्गीकरण किया गया, जिसे तालिका 2 में दर्शाया गया है—

शोध उपकरण

इस अध्ययन में आँकड़ों के एकत्रीकरण हेतु शोधार्थी द्वारा स्वनिर्मित अध्यापक अभिवृत्ति मापनी का उपयोग किया गया था। अध्यापक अभिवृत्ति मापनी का उद्देश्य कक्षा 1–8 तक के अध्यापन कार्य में संलग्न अध्यापकों की शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 में निहित विद्यालय तथा अध्यापक के दायित्व के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति का मापन करना था। अध्यापक अभिवृत्ति मापनी में धनात्मक तथा ऋणात्मक कथनों का वितरण तालिका 3 में किया गया है—

फलांकन प्रक्रिया

शोधार्थी द्वारा अध्यापकों पर अभिवृत्ति मापनी के प्रशासन के पश्चात् प्राप्तांकों का फलांकन, अध्यापकों की धनात्मक कथनों के अंतर्गत सहमत, अनिश्चित एवं असहमत पर क्रमशः 3, 2 एवं 1 और ऋणात्मक कथनों पर 1, 2 एवं 3 अंक प्रदान किए गए। इस प्रकार अध्यापकों द्वारा मापनी में प्राप्तांकों का न्यूनतम तथा अधिकतम प्रसार 1–75 के मध्य था।

आँकड़ों के संकलन की प्रक्रिया

आँकड़ों के संग्रहण के लिए शोधार्थी द्वारा महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले के प्राथमिक विद्यालयों में जाकर वहाँ के प्रधानाचार्य से अनुमति प्राप्त करके, शिक्षकों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित कर, शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 संबंधी अभिवृत्ति परीक्षण मापनी के संबंध में जानकारी प्रदान की गई।

तालिका 3— अध्यापक अभिवृत्ति मापनी में कथनों का विवरण

क्रम संख्या	कथनों की प्रकृति	कथनों की संख्या	मापनी में कथनों की स्थिति
1.	धनात्मक	16	1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25
2.	ऋणात्मक	11	5,7,10,11,12,14, 16, 22, 23, 26, 27

© NCERT not to be republished

तत्पश्चात् शिक्षकों को निर्देश दिया गया कि इस परीक्षण में कुल 25 बहुविकल्पीय कथन हैं, जिसके लिए 30 मिनट का समय दिया गया एवं उन्हें यह बताया गया कि उनके द्वारा दी गई सूचना को गुप्त रखा जाएगा। शोधार्थी द्वारा निर्देश देने के बाद शिक्षकों द्वारा परीक्षण को भरा गया और समय सीमा पूर्ण होने के बाद उनके द्वारा भरी गई मापनी का संकलन किया गया। परीक्षण नियमावली की सहायता से संकलित मापनी का फलांकन किया गया।

आँकड़ों के विश्लेषण हेतु सांख्यिकी प्रविधि

इस शोध में आँकड़ों के विश्लेषण हेतु शोधार्थी द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत विद्यालय तथा अध्यापक के दायित्व के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति का अध्ययन करने के लिए प्रतिशत, स्वतंत्र न्यादर्श t-परीक्षण, एक-मार्गीय प्रसरण विश्लेषण सांख्यिकी प्रविधि का उपयोग किया गया।

आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या

यह शोध प्रक्रिया का प्रमुख सोपान है जिनके अंतर्गत संकलित आँकड़ों का सांख्यिकी विश्लेषण उद्देश्यवार प्रस्तुत किया गया है। संकलित आँकड़ों का वर्गीकरण उनकी प्रकृति की जाँच, उचित सांख्यिकी विधियों का प्रयोग कर प्राप्त परिणामों की व्याख्या इस प्रकार है—

उद्देश्य 1— शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत विद्यालय तथा अध्यापक के दायित्व के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति का अध्ययन करना

शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत विद्यालय तथा अध्यापक के दायित्व के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति का अध्ययन करने के लिए समस्त अध्यापकों से प्राप्त आँकड़ों से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एवं प्रतिशत के आधार पर विश्लेषण किया गया तथा इसके परिणाम को क्रमशः तालिका 4 और 5 में दर्शाया गया है—

तालिका 4— केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एवं सांख्यिकी मूल्य

केंद्रीय प्रवृत्ति की माप	सांख्यिकी मूल्य
अधिकतम	71
न्यूनतम	58
प्रसार	13
अंक योग	2622
मध्यमान	65.55

तालिका 5— शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रति समस्त अध्यापकों की अभिवृत्ति का स्तर

क्रम संख्या	प्राप्तांक	अध्यापकों की संख्या	प्रतिशत	अभिवृति का स्तर
1.	71–75	02	5.0	अति उच्च स्तर
2.	66–70	17	42.5	उच्च स्तर
3.	61–65	18	45.0	मध्यम स्तर
4.	56–60	03	7.5	निम्न स्तर
कुल		40	100	

तालिका 4 से स्पष्ट होता है कि समस्त अध्यापकों के प्राप्तांकों के फलांकों का योग 2622 है तथा मध्यमान अंकन 65.55 है। वहीं तालिका 5 से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक विद्यालयों के कुल 40 अध्यापकों में से दो अध्यापकों के प्राप्तांक 71–75 अंकों के मध्य है, 18 अध्यापकों के प्राप्तांक 61–65 अंकों के मध्य है, 17 अध्यापकों के प्राप्तांक 66–70 अंकों के मध्य है एवं तीन अध्यापकों के प्राप्तांक

© NCERT not to be republished

56–60 अंकों के मध्य है। इस प्रकार तालिका 5 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि 5 प्रतिशत भाग अति उच्च स्तर, 42.5 प्रतिशत भाग उच्च स्तर एवं 45 प्रतिशत भाग मध्यम स्तर से संबंधित है। अत: यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक विद्यालय के अधिकांश अध्यापकों की शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत विद्यालय तथा अध्यापक के दायित्व के प्रति अभिवृत्ति का स्तर मध्यम एवं उच्च है। निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक स्तर के अध्यापकों की शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत विद्यालय तथा अध्यापक के दायित्व के प्रति अधिकांश अध्यापकों की अभिवृत्ति सकारात्मक है। केवल 7.5 प्रतिशत अध्यापकों के प्राप्तांक निम्न स्तर के हैं, अत: इन्हें शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के संदर्भ में विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

उद्देश्य 2— जेंडर के आधार पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत विद्यालय तथा अध्यापक के दायित्व के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन

तालिका 6 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि प्राथमिक स्तर के पुरुष अध्यापकों की अभिवृत्ति के प्राप्तांकों का माध्य 65.21 है तथा मानक विचलन 3.73 है। इसी प्रकार प्राथमिक स्तर की महिला अध्यापकों की अभिवृत्ति प्राप्तांकों का माध्य 66.06 है तथा मानक विचलन 3.02 है। पुरुष एवं महिला अध्यापकों की अभिवृत्ति फलांकों का परिकलित t-परीक्षण का मान 0.763 है, जिसका स्वतन्त्र्यांश (df = 38) पर सार्थकता मान 0.450 है, जो कि सार्थकता स्तर 0.05 के मान से अधिक है। इसलिए सार्थकता स्तर 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है। अतः शून्य परिकल्पना, जेंडर के आधार पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत विद्यालय तथा अध्यापक के दायित्व के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति के माध्य फलांकों में सार्थक अंतर नहीं है, को निरस्त नहीं किया जा सकता। परिणामत: यह कहा जा सकता है कि प्राथमिक स्तर पर पुरुष एवं महिला अध्यापकों के अध्यापक अभिवृत्ति के माध्य फलांकों में सार्थक अंतर नहीं है अर्थात् पुरुष और महिला, दोनों अध्यापक शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत विद्यालय तथा अध्यापक के दायित्व के प्रति समान अभिवृत्ति रखते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर के अध्यापकों की अभिवृत्ति पर जेंडर के आधार पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत विद्यालय तथा अध्यापक के दायित्व का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

तालिका 6— जेंडर के आधार पर अध्यापकों की अभिवृत्ति फलांकों का t-परीक्षण

अध्यापक	N	माध्य	मानक विचलन	स्वतन्त्र्यांश	t-परीक्षण	सार्थकता मान (p)	टिप्पणी
पुरुष	24	65.21	3.73	38	0.763*	0.450	सार्थक नहीं है
महिला	16	66.06	3.02				

* 0.05 सार्थकता स्तर

© NCERT not to be republished

उद्देश्य 3— शैक्षिक अनुभव के आधार पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत विद्यालय तथा अध्यापक के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन

तालिका 7 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि शैक्षिक अनुभव 0–15 वर्ष के आधार पर अध्यापकों की अभिवृत्ति के प्राप्तांकों के माध्य 64.93 है तथा मानक विचलन 3.79 है। इसी प्रकार शैक्षिक अनुभव 15 वर्ष से ऊपर के आधार पर अध्यापकों की अभिवृत्ति के प्राप्तांकों के माध्य 65.88 है। शैक्षिक अनुभव 0–15 वर्ष तथा 15 वर्ष से ऊपर के अध्यापकों के अभिवृत्ति फलांकों का परिकलित t-परीक्षण का मान 0.833 है जिसका स्वतन्त्र्यांश (df = 38) पर सार्थकता मान 0.448 है जो कि सार्थकता स्तर 0.05 के मान से अधिक है। इसलिए सार्थकता स्तर 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं है। अतः शून्य परिकल्पना, शैक्षिक अनुभव के आधार पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत विद्यालय तथा अध्यापक के दायित्व के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति के माध्य फलांकों में सार्थक अंतर नहीं है, को निरस्त नहीं किया जा सकता है। परिणामत: हम यह कह सकते हैं कि शैक्षिक अनुभव 0 से 15 वर्ष एवं 15 वर्ष से ऊपर के अध्यापकों के अभिवृत्ति के माध्य फलांकों में सार्थक अंतर नहीं है। शैक्षिक अनुभव के आधार पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत विद्यालय तथा अध्यापक के दायित्व के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति के माध्य फलांकों में सार्थक अंतर नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर के अध्यापकों की अभिवृत्ति पर शैक्षिक अनुभव का शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत विद्यालय तथा अध्यापक के दायित्व के प्रति कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

उद्देश्य 4 — सामाजिक वर्गों के आधार पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत विद्यालय तथा अध्यापक के उत्तरदायित्व के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन

तालिका 8 से स्पष्ट होता है कि सामाजिक वर्गों के आधार पर सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अध्यापकों की अभिवृत्ति के प्राप्तांकों के माध्य फलांकों का परिकलित मान 0.442 है, जो कि स्वतन्त्र्यांश (df =2, 37) पर सार्थकता मान (p मूल्य) 0.646 है। यह मान सार्थकता स्तर 0.05 के मान से अधिक है। अत: सार्थकता स्तर 0.05

तालिका 7— शैक्षिक अनुभव के आधार पर विद्यालय तथा अध्यापक के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति के फलांकों का t-परीक्षण

शैक्षिक अनुभव	N	माध्य	मानक विचलन	स्वतन्त्र्यांश	t-परीक्षण	सार्थकता मान (p)	टिप्पणी
0–15 वर्ष	14	64.93	3.79	38	0.833*	0.448	सार्थक नहीं है
15 वर्ष से ऊपर	26	65.88	3.28				

* 0.05 सार्थकता स्तर

© NCERT not to be republished

तालिका 8— सामाजिक वर्गों के आधार पर अध्यापकों की अभिवृत्ति फलांकों का एकमार्गीय प्रसरण विश्लेषण

स्रोत	वर्गों का योग	स्वतन्त्र्यांश	माध्य वर्ग	F	सार्थकता मान (p)	टिप्पणी
समूहों के मध्य	10.833	2	5.417	0.442*	0.646	सार्थक नहीं है
समूहों के अंदर	453.067	37	12.245			
कुल	463.900	39				

* 0.05 सार्थकता स्तर

पर सार्थक नहीं है। परिणामत: शोध परिकल्पना, सामाजिक वर्गों के आधार पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत विद्यालय तथा अध्यापक के दायित्व के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति माध्य फलांकों में सार्थक अंतर नहीं है, को निरस्त नहीं किया जा सकता। इसलिए यह कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर के सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के अध्यापकों के अभिवृत्ति के माध्य फलांकों में सार्थक अंतर नहीं है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर के अध्यापकों की अभिवृत्ति पर उनकी सामाजिक श्रेणी का शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत विद्यालय तथा अध्यापक के दायित्व के प्रति कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

निष्कर्ष

इस शोध के आधार पर निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए —

- समस्त अध्यापकों के अभिवृत्ति अंकों से विदित होता है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रति प्रतिदर्श में सम्मिलित अध्यापकों में से केवल 5 प्रतिशत अध्यापक अति उच्च स्तर, 42.5 प्रतिशत अध्यापक उच्च स्तर और 45 प्रतिशत अध्यापक मध्यम स्तर की अभिवृत्ति रखते हैं। अत: सांख्यिकी गणना से यह ज्ञात होता है कि अधिकांश अध्यापकों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रति औसत या औसत से अधिक अभिवृत्ति पाई गई है जो पूर्व में किए गए शोध, मंडल और बर्मन (2014), मोहलिक (2013) में भी परिलक्षित था। परंतु प्रशिक्षण के माध्यम से इसे अति उच्च स्तर तक ले जाने की आवश्यकता है।
- जेंडर के आधार पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत विद्यालय तथा शिक्षक के दायित्व के प्रति अध्यापकों के अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत महिला अध्यापकों के मध्यमान अभिवृत्ति अंकों तथा पुरुष अध्यापकों के मध्यमान अंकों में सार्थक अंतर नहीं है, जो कि पूर्व में कुमार (2014) द्वारा किए गए शोध अध्ययन यह बताते हैं कि महिला अध्यापकों तथा पुरुष अध्यापकों के अभिवृत्ति के मध्यमान अंकों में सार्थक अंतर है। अतएव कहा जा सकता है कि समय के साथ महिला तथा पुरुषों की अभिवृत्ति का अंतर समाप्त हुआ है।

© NCERT not to be republished

- शैक्षिक अनुभव के आधार पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत विद्यालयों तथा शिक्षकों के प्रति अध्यापकों की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत 0 से 15 वर्ष एवं 15 वर्ष से अधिक अध्यापकों के मध्यमान अंकों में सार्थक अंतर नहीं है, जो पूर्व में हुए शोध कार्य गाँधी और यादव (2013) के निष्कर्ष का समर्थन करती है।
- सामाजिक वर्गों के आधार पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत विद्यालय तथा शिक्षक के उत्तरदायित्व के प्रति अध्यापकों के अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अध्यापकों के मध्यमान में सार्थक अंतर नहीं है अर्थात् समस्त वर्गों के अध्यापकों की अपने उत्तरदायित्व के प्रति एकसमान अभिवृत्ति रखते हैं।

शैक्षिक निहितार्थ

इस शोध के प्रमुख शैक्षिक निहितार्थ निम्नलिखित हैं—

- यह शोध कार्य अध्यापकों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, क्योंकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के विशेष पक्ष विद्यालय तथा अध्यापकों के दायित्व के प्रति जागरूकता से अध्यापकों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रत्येक स्तर के प्रभावी क्रियान्वयन तथा अपने दायित्वों का निर्वहन करने में सहायता मिलेगी।
- यह शोध कार्य विद्यार्थियों तथा शोधार्थियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, क्योंकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों को समझकर उससे लाभान्वित हो सकेंगे। शोधार्थी शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के विभिन्न अन्य प्रावधानों पर शोध कार्य करने के लिए प्रेरित हो सकेंगे।
- यह शोध कार्य शैक्षिक नीति-निर्माताओं को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नवीन दृष्टिकोण प्रदान करेगा जिसका उपयोग वे आगामी नीतियों के निर्माण में कर सकते हैं और विद्यालयों तथा अध्यापकों की स्पष्ट व्याख्या कर सकेंगे।

भारत सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि वह विद्यार्थी, अध्यापकों एवं अभिभावकों को विभिन्न प्रकार के तकनीकी एवं गैर तकनीकी कार्यक्रमों, विज्ञापनों, आलेखनों एवं अन्य माध्यमों से जागरूक करने का प्रयास करें जिससे शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रति सभी वर्गों की अभिवृत्ति स्तर में सार्थक वृद्धि हो सके। परिणामस्वरूप अध्यापकों द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रभावी क्रियान्वयन में सक्षम हो सकेंगे।

संदर्भ

अजय, एम. जी. 2013. टीचर अवेयरनेस ऑफ़ द रेस्पोंसिबिलिटी अंडर राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट. *इंटरनेशनल इंडेक्स्ड एंड रेफ़ेरीड जर्नल*. 5(49), पृ. 38–40.

कुमार, टी. पी. 2014. ए स्टडी ऑफ़ राइट टू एजुकेशन एक्ट अमंग स्कूल टीचर्स विद रेस्पेक्ट टू फ्यू सिलेक्टेड बैकग्राउंड वेरिएबल्स. *इंडियन जर्नल ऑफ़ एप्लाइड रिसर्च*. 4(2), पृ. 15–16.

© NCERT not to be republished

कुमार, डी. और एस. शर्मा. 2011. ए स्टडी ऑफ़ पेरेंट्स एंड टीचर्स अवेयरनेस टुवर्ड्स राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009. *जर्नल ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च*. 2(2), पृ. 129–132.

गाँधी, वी. और एन. यादव. 2013. ए स्टडी ऑफ़ अवेयरनेस अमंग प्राइमरी स्कूल टीचर्स टुवर्ड्स राइट टू एजुकेशन एक्ट, 2009. *इंटरनेशनल इंडेक्स्ड और रेफ़ेरेड जर्नल*. 4(48), पृ. 48–49.

दे, एन. और बी. बेक. 2011. द राइट ऑफ़ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट— टीचर्स परसेप्शन. *जर्नल ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च*. 2(2), पृ. 83–90.

परिमाला, डी. 2012. *इक्विटी एंड एजुकेशन*. कनिष्का पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नयी दिल्ली.

मंडल, एस. और पी. बर्मन. 2014. एट्टीट्युड ऑफ़ हेडमास्टर्स एंड टीचर्स टुवर्ड्स राइट टू एजुकेशन एक्ट, 2009. *जर्नल ऑफ़ ह्यूमेनिटीज़ एंड सोशल साइंस*. 19(11), पृ. 1–9.

मलिक, और अन्य. 2013. अवेयरनेस ऑफ़ राइट टू एजुकेशन एक्ट अमंग प्रोस्पेक्टिव टीचर्स. *रिसर्च जर्नल ऑफ़ एजुकेशन*. 1(2), पृ. 1–6.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. *राइट टू एजुकेशन एक्ट, 2009*. भारत सरकार, नयी दिल्ली.

मोहलिक, आर. के. 2013. *राइट ऑफ़ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, 2009*. क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान, भुवनेश्वर, रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

रहमान, ए. 2013. ए कम्पेरेटिव स्टडी ऑन द अवेयरनेस अमंग द प्राइमरी स्कूल टीचर्स ऑन राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009. *इंडियन जर्नल ऑफ़ रिसर्च*. 7(6), पृ. 51–53.

सोफी, एम. ए. 2017. ए स्टडी ऑन अवेयरनेस ऑफ़ आर.टी.ई. एक्ट अमंग द पेरेंट्स ऑफ़ मुस्लिम कम्युनिटी ऑफ़ श्रीनगर. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ अकेडमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट*. 2(4), पृ. 266–267.

© NCERT not to be republished